

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर
क्रमांक-न-5(5)पु.फो./उ.नि./अनु.-3/2010/पार्ट-11/ 1251 दिनांक- 11 मार्च, 2014,

संशोधित-विज्ञप्ति

इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक 1030 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा उप निरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा-2010 में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पूर्व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त चयन सूची में एसटी (टीएसपी) महिला के 5 रिक्त पदों के विरुद्ध एसटी (टीएसपी) महिला उपलब्ध नहीं होने के कारण एसटी महिलाओं का चयन कर निम्न एसटी महिलाओं को दिनांक 14.03.2014 को राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया गया है:-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	वर्ग	मेरिट
1	तारा मीणा/ धर्मसिंह मीणा	एसटी महिला	1598
2	उर्मिला बाई मीणा/ रमेश चन्द मीणा	एसटी महिला	1606
3	मंजू कुमारी मीणा/ गोकुल प्रसाद	एसटी महिला	1614
4	सुमन मीणा/ रामेश्वर लाल मीणा	एसटी महिला	1615
5	सुशीला कुमारी/ महावीर सिंह	एसटी महिला	1617

पुनश्च: उक्त सम्बन्ध में भर्ती विज्ञप्ति दिनांक 25.11.2010 के बिन्दु संख्या-2 में उल्लेखितानुसार एसटी (टीएसपी) महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर एसटी (टीएसपी) महिला के 5 रिक्त पदों के विरुद्ध निम्न एसटी (टीएसपी) पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है तथा पूर्व में चयनित उक्त 5 एसटी महिला अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	वर्ग	मेरिट
1	श्री जगदीश चन्द्र परमार/ प्रेम शंकर परमार	एसटी (टीएसपी)	1597
2	श्री अनिल मीना / जालमचन्द मीना	एसटी (टीएसपी)	1602
3	श्री भेमजी गरासिया / बागजी गरासिया	एसटी (टीएसपी)	1605
4	श्री नाकूराम निनामा/ फूलचन्द	एसटी (टीएसपी)	1609
5	श्री इन्द्रजीत परमार / राजेन्द्र कुमार परमार	एसटी (टीएसपी)	1611

अतः उक्त चयनित अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 14.03.2014 को प्रातः 9 बजे राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में अपना मूल पहचान पत्र मय एक फोटो प्रति एवं 2 पासपोर्ट साईज फोटो सहित उपस्थित होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये इच्छुक नहीं हो, तो इस आशय का लिखित प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में जरिये डाक/फैक्स न. 0141- 2600519 अथवा ईमेल आईडी ighqraj@gmail.com पर भिजवाये। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में चरित्र सत्यापन हेतु अटैस्टेशन फार्म एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/ मूल निवास/ जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो, तो वह भी अपने साथ लावे एवं कार्यालय के प्रतिनिधि को उपलब्ध करावे।

नोट:- स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको आवश्यक रूप से नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्णरूप से पात्र पाये जाने पर ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

महानिरीक्षक पुलिस,
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।